

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-01/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति के अंतर्गत रु० 5.00 लाख, 2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान में रु० 24.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव में रु० 10.83 लाख अर्थात् कुल रु० 39.83 लाख (उनचालीस लाख तिरासी हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010002, 39-2245021010003 एवं 39-2245021170002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैं-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति, विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य (अगलगी के मददेनजर)		2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान (अगलगी के मददेनजर)		2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव, विषय शीर्ष-35 01-नगद/वस्तु (अगलगी के मददेनजर)		आवंटन का कुल योग	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	औरंगाबाद	0.00	5.00	16.00	0.00	1.00	0.00	17.00	5.00
2	पटना	0.00	0.00	20.00	12.00	1.00	0.00	21.00	12.00
3	कैमूर	0.00	0.00	16.00	0.00	1.00	0.83	17.00	0.83
4	पश्चिम चम्पारण	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	10.00	21.00	10.00
5	भागलपुर	0.00	0.00	16.00	12.00	1.00	0.00	17.00	12.00
	कुल	0.00	5.00	88.00	24.00	5.00	10.83	93.00	39.83

22/5

4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-253 दिनांक-30.04.2026, पटना के पत्रांक-663, दिनांक-02.05.2026, कैमूर के ज्ञापांक-512 दिनांक-11.05.2026, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-245 दिनांक-21.04.2026 एवं भागलपुर के पत्रांक-605 दिनांक-29.04.2026 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में व्यय किया जाएगा।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-01/2026/32...../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-19-05-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, पटना, कैमूर, पश्चिम चम्पारण एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/5
संयुक्त सचिव